फर्द अहकाम

हरि बनाम मालीराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 142/2010 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/9/19	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
	14/10/19	वा. प्र. उप0 । दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहते है पुनः न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते पेश करने दस्तावेज दिनांक 01/11/19 को पेश हो। Devyani	
	01/11/19	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 26/11/19 को पेश हो।	
	26/11/19	वा. प्र. उप0 । दस्तावेज पेश किये जाने हेतु समय चाहा । दस्तावेज पेश करने हेतु उचित अवसर दिये जा चुके है न्यायहित में भी अवसर दिये जा चुके है दस्तावेज का अवसर बंद किया जाता है पत्रावली वास्ते अवलोकन/आदेश दिनांक 13/12/19 को पेश हो। Devyani	
	13/12/19	वा. प्र. उप0 । पत्रावली वास्ते अवलोकन/आदेश दिनांक 18/12/19 को पेश हो। Devyani	
	18/12/19	वा. प्र. उप0 । पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक राजीनामा दिनांक [illegible] के अनुसार वाद आदेश [illegible] किया जाता है [illegible] जाकर आदेश किया गया। [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर मियाद बाद दाखिल दफ्तर हो।	

Devyani
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.03.16 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–142 / 2010
उनवान– हरि बनाम मालीराम वगै0
निर्णय दिनांक– 18.12.2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–142 / 2010

उनवान

1. हरि पुत्र भूरा जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. प्रभाती देवी पत्नी स्व0 हरि
1/2. चौथमल पुत्र स्व0 हरि
1/3. लालचन्द पुत्र स्व0 हरि
1/4. पप्पू यादव पुत्र स्व0 हरि
1/5. गोपाल यादव पुत्र स्व0 हरि
1/6. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 हरि
1/7. बनवारीलाल पुत्र स्व0 हरि
1/8. मुकेश यादव पुत्र स्व0 हरि
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दौला, तहसील चौमू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र स्व0 गंगू
2. फूला पुत्र स्व0 गंगू
   जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)
3. रामेश्वरी पुत्री स्व0 गंगू पत्नी श्री जगदीश जाति अहीर, निवासी डेहरावाली ढाणी, ग्राम कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
4. गुल्ली पुत्री स्व0 गंगू पत्नी स्व0 श्री रामनारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डा नौपुरा, तहसील चौमू, जिला–जयपयुर।
5. कमली पुत्री स्व0 गंगू पत्नी श्री शंकरलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डा नौपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
6. उपपंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–18.12.2019

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर का रहने वाला है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादी के मृतक भाई स्व0 गंगू पुत्र भूरा के [illegible] के ग्राम देवथला, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर में वादी व [illegible] संख्या 1 ता 5 की पुस्तैनी कब्जे काश्त की भूमि जिसके [illegible] रकबा 0.22 हैक्टेयर तथा हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उ[illegible] भूमि ही वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता स्व0 गंगू के पिता का नाम भूरा था और भूरा के पिता एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता गंगू के दादा का नाम बीन्जा था। लेकिन भूमि विवादग्रस्त के गत खसरा नम्बर 68 की जमाबन्दी में प्रथम पैमाईश के समय ही भूअभिलेख कर्मचारियो द्वारा दौराने पैमाईश जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के नाम का गलत अंकन करते हुए गंगू, भूरा पुत्र बीन्जा लिख दिया गया। जो कि गलत अंकन है क्योंकि गंगू व भूरा बाप बेटे हैं, इस प्रकार प्रथम पैमाईश के समय भू—अभिलेख कर्मचारियों द्वारा बाप—बेटे को भाई मानते हुए गत खसरा नम्बर 68 के खातेदार काश्तकार के नाम गलत अंकन कर दिया। जबकि इसकी जगह गंगू, हरि पुत्र भूरा लिखा जाना चाहिए था। साथ ही प्रथम पैमाईश के समय गत खसरा नम्बर 68 का रकबा भी 0.22 हैक्टेयर जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड में दौराने प्रथम पैमाईश भू—अभिलेख कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन कर दिया गया क्योंकि गत व वर्तमान नक्शे अनुसार गत खसरा नम्बर 68 जिसके हाल खसरा नम्बर 236 का रकबा 0.47 हैक्टेयर है। जो गत व वर्तमान नक्शे में सही है तथा मौके पर भी भूमि विवादग्रस्त का रकबा 0.47 हैक्टेयर ही है लेकिन दौराने प्रथम पैमाईश भू—अभिलेख कर्मचारियों से उक्त गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में मुगालतेवश लिखा गया जबकि अन्य खातेदारी भूमियों में गंगू, हरि पूत्रान् भूरा दर्ज है जो सही है। जिससे यह साबित होता है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता गंगू का सगा भाई है। इस कारण उक्त भूमि वादग्रस्त का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है।

भूमि विवादग्रस्त का कुल रकबा गत एवं वर्तमान नक्शे अनुसार 0.47 हैक्टेयर है एवं मौके पर भी भूमि विवादग्रस्त का रकबा 0.47 हैक्टेयर ही है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर कृषि कार्य कर रहे है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम से ही अपने—अपने हिस्से अनुसार आधा—आधा लगान शामलाति अदा करते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता स्व0 गंगू पुत्र भूरा का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की नियत में खोट आ गया, जिस कारण भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड के गलत अंकन का फायदा उठाकर स्थानीय सरपंच एवं पटवारी हल्का से मिली भगत कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अकेले अपने नाम नामान्तकरण खुलवाना चाहते है, जिसका की उन्हे कोई हक एवं अधिकार नहीं है कि वे भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वाद वादी बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी में रिकार्ड गंगू, भूरा पुत्र बीन्जा के स्थान पर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर गंगू, हरि पुत्र भूरा अंकित किया जावें व गत खसरा नम्बर 68 रकबा 0.22 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 0.22 हैक्टेयर के स्थान पर गत व वर्तमान नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 236 रकबा 0.22 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जाकर प्रतिवादी संख्या 7 को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हेतु आदेशित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा 5 द्वारा भूमि विवादग्रस्त में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि के वादी के कब्जे काश्त में एवं उपयोग करने में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाहखलत पैदा नहीं करें, ना ही बेचान, रहन हस्तान्तरण करें एवं प्रतिवादी संख्या 6 भूमि विवादग्रस्त के बाबत् कोई विकय पत्र या लेख पत्र प्रस्तुत होने पर तस्दीक नहीं करें ना ही प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, ना ही नामान्तकरण तस्दीक करें ना ही अन्य से परिवर्तन करवायें।

वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की और से जवाब पेश किया गया। वादीगण की ओर से Ex. P1 जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 Ex. P2 नकल नक्शा सन् 1985, Ex. P3 नकल नक्शा सन् 1958, Ex. P4 पर्चा लगान, Ex. P5 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2023–33, Ex. P6 मिलान क्षेत्रफल, Ex. P7 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019–23 पेश की। मौखिक साक्ष्य के रुप में गवाह रामसहाय पुत्र बद्री, मोहन पुत्र खीमाराम, हरि पुत्र भूरा के शपथ पत्र साक्ष्य के पेश किये गये है। प्रतिवादीगण की ओर से मालीराम पुत्र स्व0 गंगू, छीतर पुत्र हनुमान सहाय के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश हुए।

प्रकरण में दिनांक 22.07.2019 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामें में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दी गई की वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का वा[illegible]कार किये जाने पर सहमति जाहिर की है तथा मुताबिक राजी[illegible] का निवेदन किया गया है। मुताबिक राजीनामा वादीगण [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:50:56 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा दिनांक 22.07.2019 के अनुसार आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 236 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम देवथला तह चोमूं, जिला जयपुर में दर्ज रिकार्ड गंगू, भूरा पुत्र बींजा के स्थान पर वादीगण को हिस्सा 1/2 भाग का व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। राजीनामा दिनांक 22.07.2019 निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–142/2010
उनवान– हरि बनाम मालीराम वगै0
निर्णय दिनांक– 18.12.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–142/2010

उनवान

1. हरि पुत्र भूरा जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. प्रभाती देवी पत्नी स्व0 हरि
1/2. चौथमल पुत्र स्व0 हरि
1/3. लालचन्द पुत्र स्व0 हरि
1/4. पप्पू यादव पुत्र स्व0 हरि
1/5. गोपाल यादव पुत्र स्व0 हरि
1/6. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 हरि
1/7. बनवारीलाल पुत्र स्व0 हरि
1/8. मुकेश यादव पुत्र स्व0 हरि
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दौला, तहसील चौमू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र स्व0 गंगू
2. फूला पुत्र स्व0 गंगू
   जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)
3. रामेश्वरी पुत्री स्व0 गंगू पत्नी श्री जगदीश जाति अहीर, निवासी डेहरावाली ढाणी, ग्राम कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर।
4. गुल्ली पुत्री स्व0 गंगू पत्नी स्व0 श्री रामनारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डा नौपुरा, तहसील चौमू, जिला–जयपयुर।
5. कमली पुत्री स्व0 गंगू पत्नी श्री शंकरलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डा नौपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
6. उपपंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री देवयानी [illegible] मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा दिनांक 22.07.2019 के अनुसार आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 236 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम देवथला तह चोमूं, जिला जयपुर में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड गंगू, भूरा पुत्र बींजा के स्थान पर वादीगण को हिस्सा 1/2 भाग का व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। राजीनामा दिनांक 22.07.2019 निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा........ सहायक **कलक्टर**
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	5	जोड़	1

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 13:45:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: